न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 823–एक/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 07–02–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावरा जिला–रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 37/अपील/2012–2013

.....

गणपतलाल पिता रामेश्वर जी
निवासी–हनुमंतिया, तहसील–जावरा
जिला–रतलाम

.....आवेदक

विरूद्ध

बालाराम पिता रामेश्वर पाटीदार
निवासी–हनुमंतिया, तहसील–जावरा
जिला–रतलाम

..... अनावेदक

.....

श्री प्रताप मेहता, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 07 सितम्बर 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जावरा जिला–रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ याचिकाकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम हनुमंतिया में मृतक रामेश्वर पिता चिमनलाल के नाम से कृषि भूमि कुल किता 8 रकबा 10.14 हैक्टेयर कृषि भूमि पर रामेश्वर का उसके पिता चिमनलाल की मृत्यु उपरांत नामांतरण पंजी कमांक 01 आदेश दिनांक 22–12–2011 को हुआ। नामांतरण

आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जावरा के न्यायालय में प्रथम अपील मय धारा 5 अवधि विधान सह शपथपत्र एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर रिस्पाडेंट को तलब करने, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने एवं प्रकरण में अपील अनुमति आवेदन तथा धारा 5 की सुनवाई व जबाव हेतु नियत किया। प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 6–2–2013 को आवेदक के पिता रामेश्वर की मृत्यु हो ने पश्चात वारिसानों को रिकार्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 का आवेदन पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील के ग्राह्यता तर्क, धारा 32 पर तर्क, धारा 52 तर्क, आदेश 22 नियम 4 पर तर्क, आदेश 41 नियम 27 एवं आदेश 1 नियम 10 के आवेदनों पर एकसाथ तर्क हेतु प्रकरण नियत कर दिया गया जबकि न्यायालय को विधि अनुसार सर्वप्रथम वारिसान रिकार्ड पर लाने के आवेदन आदेश 22 नियम 4 के आवेदन पर सुनवाई हेतु प्रकरण नियत करना था। वारीसान रिकार्ड पर आने के पश्चात ही बाकी आवेदनों पर सुनवाई हेतु प्रकरण नियत किया जाना चाहिए था। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 7–2–2014 निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील के ग्राह्यता तर्क, धारा 32 पर तर्क, धारा 52 तर्क, आदेश 22 नियम 4 पर तर्क, आदेश 41 नियम 27 एवं आदेश 1 नियम 10 के आवेदनों पर एकसाथ तर्क हेतु प्रकरण नियत किया है जबकि सर्वप्रथम मृतक रामेश्वर के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 के आवेदन पर तर्क एवं एवं निर्णय लेना चाहिए था तत्पश्चात अन्य आवेदन पर तर्क हेतु प्रकरण नियत किया जाना चाहिए था। अनुविभागीय अधिकारी उक्त विधि की प्रकिया का पालन नहीं करने में वैधानिक भूल की है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 7–2–2013 इस अंश

तक निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम मृतक रामेश्वर के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 के आवेदन पर तर्क हेतु प्रकरण नियत करने के उपरांत उस विधिअनुसार निर्णय लें तत्पश्चात प्रकरण में प्रस्तुत अन्य आवेदनों पर तर्क हेतु नियत किया जाये।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर